न्यायालय : अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
(विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट कैसेज) फलोदी
पीठासीन अधिकारी : जयपाल जाणी (R.J.S-DJ Cadre)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 322/2026
CIS No 322/2026 CNR NO- RJPH01-001511-2026

प्रार्थी/अभियुक्त :–

अनिल कुमार पुत्र मोहनराम, उम्र 25 साल, निवासी–कोलू निम्बायत, पुलिस थाना, लोहावट, जिला फलोदी।

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान राज्य।

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
सेशन प्रकरण संख्या– 520/2026 सरकार बनाम अनिल
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 103/2025 पुलिस थाना देचू
अपराध अंतर्गत धारा 8/15, 25 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

उपस्थित :–

1. श्री उगराराम उदाणी, श्री रामप्रकाश माली अधिवक्तागण वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री कैलाश कड़वासरा, विशिष्ट लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य।

–: आदेश :– **दिनांक : 06.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत् पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलायी जाकर प्रकरण पत्रावली तलब की जाकर बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार दिनांक 21.05.2025 को शिवराजसिंह, नि.पु., थानाधिकारी पुलिस थाना देचू मय जाब्ता के थाना के वांछित मुलजिमानो की तलाश करते हुए गुमानपुरा पहुंचे, जहां डीएसटी टीम फलोदी के प्रदीप हैड कानि. मय जाप्ता वांछित मुलजिमानों की दस्तयाबी हेतु उपस्थित मिले, जहां जिला स्पेशल टीम फलोदी के कानि. महेन्द्र नम्बर 1324 को मुखबिर सूचना मिली कि अनिल कुमार ने सरहद कालू निम्बायत स्थित अपने रहवासी मकान के पास आये खेत में भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त छुपाकर रखा है। उक्त सूचना पर थानाधिकारी मय जाब्ता 3.10 पी.एम. पर रवाना होकर सरहद कोलू निम्बायत स्थित अनिल के रहवासी मकान पर पहुचे

तो मकान पर कोई नहीं मिला जिस पर अनिल के रहवासी मकान व खेत की तलाशी शुरू की गई तो अनिल कुमार के खेत की बाड़ के पास झाड़ियों के नीचे सात प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए, जिनमें छः सफेद रंग के धारीदार व एक पीले रंग का प्लास्टिक का कट्टा डोडा पोस्त से भरे हुए मिले। जिसमें से प्रथम कट्टे का कट्टे सहित वजन 17 किलो 510 ग्राम, दूसरे कट्टे का कट्टे सहित वजन 17 किलो 700 ग्राम, तीसरे कट्टे का कट्टे सहित वजन 17 किलो 380 ग्राम चौथे कट्टे का कट्टे सहित वजन 17 किलो 900 ग्राम पांचवे कट्टे का कट्टे सहित वजन 17 किलो 450 ग्राम छठे कट्टे का कट्टे सहित वजन 17 किलो 180 ग्राम, सातवे कट्टे का कट्टे सहित वजन 17 किलो 620 ग्राम (सातो कट्टो का कट्टो सहित वजन 122.740 किलोग्राम) हुआ, जिसे अपने पास रखने बाबत प्रार्थी/अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं पाया गया....आदि। उक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना देचू द्वारा प्रकरण संख्या 103/2025 अन्तर्गत धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज किया जाकर अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की व कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के व्यक्तिगत कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है और ना ही कोई बरामदगी किया जाना शेष है। प्रकरण में धारा 42 एवं 50 एन.डी. पी.एस. एक्ट के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ मिलने पर उसके कहीं पर फरार होने की कोई संभावना नहीं है, अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए, उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी/अभियुक्त के चैतन्य कब्जे से अवैध डोडा पोस्त बरामद की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाए।

5. उभय पक्ष को सुना गया व अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 21.05.2025 को शिवराजसिंह, नि.पु., थानाधिकारी पुलिस थाना देचू मय जाब्ता पुलिस थाना देचू के द्वारा की कार्यवाही के दौरान वक्त 3.30 पी.एम. पर अनिल कुमार के सरहद कोलू

निम्बायत स्थित खेत की तलाशी लिये जाने पर खेत की बाड़ के पास झाड़ियों के नीचे सात प्लास्टिक के कट्टे जिनका कट्टो सहित कुल वजन 122 किलो 740 ग्राम बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के जब्त किए गए, प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8 / 15, 25 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का आक्षेप है। प्रकरण पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी / अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	पुलसि थाना	अपराध अन्तर्गत धारा
1	103 / 2025	लोहावट	8 / 15 एनडीपीएस
2	22 / 2025	नोख	8 / 15, 29 एनडीपीएस
3	363 / 2025	राजियासर	8 / 15, 25, 29 एनडीपीएस

7. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी / अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी / अभियुक्त **अनिल कुमार पुत्र मोहनराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
(विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट
कैसेज) जिला फलोदी

9. आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
(विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट
कैसेज) जिला फलोदी